रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 1999/आषाढ़ 23, 1921
No. 170] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 1999/ASADHA 23, 1921

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1999

सं. 17/1/98-डी.बी.ए.-I.— *उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के दिनांक 24 दिसम्बर, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई.ए. 1/2/96-आई.पी.डी. के पैरा ई (1) के अनुसरण में, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए व्यापक बीमा योजना बनाई है ताकि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की गति को तेज किया जा सके।*

1. लघु शीर्षक: इस योजना को केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 1997 कहा जाए।

2. प्रारंभ और अवधि: यह योजना इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी तथा 10(दस) साल तक लागू रहेगी।

3. प्रयोजनीयता: यह योजना 24.12.1997 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित गई औद्योगिक इकाइयों पर लागू है।

4. औद्योगिक इकाई की परिभाषा: आल इंडिया फायर टैरिफ के अनुसार कोई भी उद्योग जो अग्नि नीति 'सी' में सम्मिलित है।

5. बीमा राशि का निर्धारण: बीमा कम्पनी द्वारा बाजार मूल्यांकन के आधार पर पालिसी जारी की जाएगी।

6. प्रीमियम की विधि: बीमाकृत पार्टी आरंभिक प्रीमियम का भुगतान करेगी जिसकी प्रतिपूर्ति नोडल बीमा कंपनी (राष्ट्रीय बीमा निगम) द्वारा अपने 'रिवोल्विंग फंड' से की जायेगी। इस 'रिवोल्विंग फंड' के लिए निधि का अंशदान उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा किया जायेगा।

7. इस योजना के अन्तर्गत परिकल्पित नीति अनुबंध 'क' में यथा-उल्लिखित होगी।

श्रीमती प्रतिभा करन, संयुक्त सचिव

अनुबंध – क

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक इकाई के लिए विस्तृत बीमा पोलिसी

इस संबंधी अनुसूची में नामांकित बीमाकृत को ध्यान में रखते हुए जिसने .....इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा गया है) को उक्त अनुसूची में उल्लिखित प्रीमियम का भुगतान कर दिया है, कंपनी इस बात से सहमत है (इसमें निहित अथवा इस पर पृष्ठांकित या अन्यथा व्यक्त शर्तों व अपवर्जनों के अधीन) कि यदि प्रीमियम के भुगतान के बाद उक्त अनुसूची में नामांकित बीमा की अवधि के दौरान या किसी ऐसी अनुवर्ती अवधि के दौरान जिसके लिए बीमाकृत ने भुगतान कर दिया हो और कंपनी ने पोलिसी के नवीकरण के लिए अपेक्षित प्रीमियम स्वीकार कर लिया हो तो उक्त अनुसूची में वर्णित बीमाकृत प्रीमियम स्वीकार कर लिया हो तो उक्त अनुसूची में वर्णित बीमाकृत संपत्ति अथवा ऐसी संपत्ति के किसी भाग के निम्नलिखित से नष्ट या क्षतिग्रस्त होने पर:-

1. आग
2. बिजली गिरने
3. विस्फोट\अन्तर्विस्फोट, लेकिन (क) बायलरों (घरेलू बायलरों के अतिरिक्त), इकोनोमाइजर्स या अन्य पात्रों, मशीनों या उपकरणों के नाश या क्षति को छोड़कर जिनमें भाप का जनित्रर्ण होता है या इनकी अंतर्निहित वस्तुएं जो अपने स्वयं के विस्फोट\अन्तर्विस्फोट से उत्पन्न हुई हों (ख) केन्द्रविमुखी बल के कारण।
4. इस पर मुद्रित दंगा, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण एवं आतंकवादी क्षति संबंधी धारा के अनुसार दंगा, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण एवं आतंकवादी क्षति।
5. किसी रेल \सड़क वाहन या पशु का प्रभाव।
6. वायुयान तथा अन्य हवाई और\या अन्तरिक्ष उपकरण और\या वहां से गिरायी गयी वस्तुएं लेकिन इन उपकरणों के कारण हुई दबाव की लहरें से हुए विनाश या क्षति को छोड़कर।
7. तूफान, चक्रवात, बवण्डर, अन्धड़, आंधी, टोरनेडो, बाढ़ और जलप्रलय।
8. जमीन धंसना और भूस्खलन (चट्टान खिसकने सहित) जिसके कारण पूरा भवन या इसका कोई भाग ढह जाए।
9. भूकंप, अग्नि और आघात।

कंपनी बीमाकृत को संपत्ति के नाश के समय इसके मूल्य अथवा इस प्रकार की क्षति की राशि का भुगतान करेगी अथवा अपने विवेक से इस प्रकार की संपत्ति या इसके किसी भाग को पुन: स्थापित या प्रतिस्थापित करेगी।

बशर्ते कि प्रत्येक मद के संबंध में कंपनी की देनदारी उक्त अनुसूची में उल्लिखित योग जिस पर बीमा किया जाना है या कुल मिलाकर इसके द्वारा किए गए बीमे के कुल योग या ऐसे अन्य योग या योगों से अधिक नहीं होगी जो कंपनी या कंपनी की ओर से हस्ताक्षरित इस बारे में संलग्न इस पर ज्ञापन द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएं ।

दंगा, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण एवं आतंकवादी क्षति संबंधी शर्त

यह पॉलिसी दंगा, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण एवं आतंकवादी क्षति पर निम्न प्रकार लागू होती है:-

I. बीमाकृत संपत्ति को बाहरी हिंसक साधनों से नुकसान या दृश्यमान भौतिक क्षति जो निम्नलिखित द्वारा सीधे ही पहुंचायी गयी हो:

1. सार्वजनिक शांति की विघ्नता में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर भाग लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य (चाहे यह हड़ताल या तालाबंदी के संबंध में हो या न हो) जो अपवर्जन 7(क), (ख) में उल्लिखित घटना न हो ।
2. इस प्रकार के उपद्रव को दबाने या दबाने का प्रयास करने में या इस प्रकार के उपद्रव के परिणामों को कम से कम करने में किसी कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण की कार्रवाई ।
3. हड़ताल को बढ़ाने में या तालाबंदी का विरोध करने में किसी हड़तालो या तालाबंदी कार्यकर्ता द्वारा जानबूझकर की गयी कार्रवाई जिसके फलस्वरूप बाहरी हिंसक साधनों से दृश्यमान भौतिक क्षति हुई हो ।
4. इस प्रकार की कार्रवाई को रोकने या रोकने का प्रयास करने में या इस प्रकार की कार्रवाई के परिणामों को कम से कम करने में कानूनी रूप से गठित किसी प्राधिकरण की कार्रवाई ।
5. किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की चूक को छोड़कर कोई भी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई (चाहे यह कार्रवाई सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए की गयी हो या नहीं) बशर्ते कि कंपनी चोरी, सेंधमारी के कारण अथवा इसमें भाग लेने वाले किसी व्यक्ति के प्रयास के कारण किसी हानि या क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी ।

II विस्फोट अथवा अन्यथा बीमाकृत संपत्ति को निम्नलिखित द्वारा सीधे क्षति:

1. किसी संगठन की ओर से या इसके संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की गयी आतंकवादी कार्रवाई ।
2. इस प्रकार के आतंकवाद को दबाने या दबाने का प्रयास करने में या इसके परिणामों को कम से कम करने में कानूनी रूप से गठित किसी प्राधिकरण की कार्रवाई ।

इस धारा के प्रयोजन के लिए " आतंकवाद " का अर्थ राजनीति कार्यों के लिए हिंसा का सहारा लेना होगा और जनता या जनता के किसी वर्ग में भय बनये रखने के लिए हिंसा का प्रयोग शामिल होगा ।

अपवर्जन

निम्नलिखित इस बीमा के दायरे में नहीं हैं:-

1. किसी बीमाकृत जोखिम के घटना के दौरान अथवा बाद में चोरी से होने वाला नुकसान जिसमें दंगे, हड़ताल तथा विद्वेषपूर्ण क्षति खंड में यथा प्रदत्त को छोड़कर ।
2. संपत्ति के उष्मकरण अथवा शुष्ककरण प्रक्रिया के कारण इसे होने वाली हानि अथवा क्षति ।
3. निम्नलिखित से अथवा द्वारा अथवा के परिणामस्वरूप होने वाली हानि अथवा क्षति:

   (क) किसी सार्वजनिक प्राधिकारी के आदेश से संपत्ति जलने पर ।

   (ख) तहखाने में आग लगने पर ।
4. परमाणु अस्त्र सामग्री द्वारा अथवा उनसे अथवा उनके फलस्वरूप अथवा उनके योगदान से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से होने वाली हानि अथवा क्षति ।

5. किसी परमाणु ईंधन अथवा परमाणु ईंधन प्रज्वलन से किसी परमाणु अपशिष्ट से अथवा उससे उत्पन्न अथवा उसके फलस्वरूप अथवा उसके आयननकारी विकिरण के योगदान अथवा रेडियो-सक्रियता दूषण से होने वाली प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हानि अथवा क्षति ।

6. अधिक चलाने, अधिक दाब, शार्ट सर्किट, चाप, स्वत: उष्मा अथवा लीकेज अथवा विद्युत जो भी कारण हो (बिजली गिरने सहित), के कारण अथवा से होने वाला किसी वैद्युत मशीन, साधन, फिक्सर अथवा फिटिंग (जिसमें बिजली के पंखे बिजली का घरेलू सामान अथवा घरेलू उपकरण, वायरलेस सेट, टेलीविजन सेट तथा रेडियो शामिल हैं (को होने वाली हानि अथवा क्षति बशर्ते कि यह छूट ऐसे प्रभावित विद्युत अधिष्टापन के केवल किसी खास विद्युत मशीन, उपकरण, फिक्सर, फिटिंग अथवा उसके मार्ग पर लागू होगी और ऐसे किसी विद्युत अधिष्टापन के अन्य मशीनों, उपकरणों, फिक्सरों, फिटिंगों अथवा उसके भागों पर लागू नहीं होगी जो ऐसी स्थापन में आग से नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त होता हो ।

7. निम्नलिखित किसी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष घटना से अथवा के जरिए अथवा के फलस्वरूप होने वाली कोई हानि अथवा क्षति, अर्थात:-

   (क) युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु द्वारा आक्रमणकारी कार्यवाही अथवा युद्ध सदृश कार्य (चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं), सिविल युद्ध,

   (ख) सैन्यद्रोह, नागरिक विद्रोह सार्वजनिक विद्रोह, सैन्य विद्रोह, राज द्रोह, विद्रोह, क्रांति, सैन्य अथवा बल प्रयोग करके ।

जहां कंपनी यह अभियोजित करती है कि उपर्युक्त अपवर्जन उपबंधों के कारण कोई हानि अथवा क्षति इस बीमा के दायरे में नहीं आती है, तत्संबंधी किसी कार्यवाही, दावा अथवा अन्य कार्यवाही हेतु ऐसी हानि अथवा क्षति दायरे को सिद्ध करने का भार बीमाकृत पर होगा ।

8. सोना-चांदी, अपरिष्कृत बहुमूल्य पत्थर, कोई विलक्षण अथवा कलाकृति- 1000 रुपये से अधिकस राशि की, पांडुलिपि, आयोजना, आरेखन, पेटर्न, मौडल अथवा मोल्ड, प्रतिमूर्तियां,

किसीस प्रकार का दायित्व अथवा प्रलेखन, स्टाम्प, सिक्के अथवा कागजी मुद्रा, चेक, लेखा-बही अथवा अन्य व्यावसायिक बही, कंप्यूटर सिस्टम रिकार्ड, डिस्कोटक, जब तक कि पालिसी में अन्यथा रूप से व्यक्त न किये गये हों ।

9. यदि बीमांकित संपत्ति को किसी ऐसे भवन अथवा स्थान से जिसमें इसका बीमा किया गया हो, अन्य किसी भवन अथवा स्थान में ले जाया जाता है, जिसमें मरम्मत, सफाई, नवीकरण अथवा अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अस्थाई तौर पर अधिकतम 60 दिनों के लिए हटाई गई मशीनरी और उपकरण शामिल नहीं हैं ।

इस बीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(क) उपार्जन की हानि, विलंब से होने वाली हानि, बाजार अथवा अन्य कारणों से होने वाली हानि अथवा अप्रत्यक्ष हानि अथवा किसी प्रकार अथवा किस्म की क्षति, जो कुछ भी हो ।

(ख) समूचा अथवा आंशिक विराम कार्य अथवा किसी प्रकार की प्रक्रिया अथवा प्रचालन अथवा चूक संबंधी खाता अथवा व्यवधान अथवा विराम से होने वाली हानि अथवा क्षति ।

(ग) किसी कानून सम्मत प्राधिकरण द्वारा जब्त आदेश अथवा अधिग्रहण के फलस्वरूप स्थायी अथवा अस्थायी बेदखली से होने वाली हानि अथवा क्षति ।

(घ) किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार के कारण उसके द्वारा ऐसे भवन अथवा संयंत्र अथवा इकाई अथवा मशीनरी अथवा उसमें प्रवेश पर रोक लगाने से किसी भवन अथवा संयंत्र अथवा इकाई अथवा मशीनरी के स्थाई अथवा अस्थाई बेदखली से होने वाली हानि अथवा क्षति ।

बशर्ते कि जब तक कि उक्त कंपनी बेदखली से पूर्व अथवा अस्थाई बेदखली के दौरान होने वाल बीमांकित संपत्ति के वास्तविक नुकसान के लिए बीमांकित किसी देनदारी के लिए ऊपर (ग) अथवा (घ) की शर्त से मुक्त न हो जाए ।

शर्तें:-

1. यह पालिसी अनुचित अभ्यायेदन, अनुचित विधरण अथवा किसी सामग्री विशेष की घोषणा नहीं किये जाने के कारण अमान्य होगी ।

2. इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी भवन के अथवा इसके भाग के अथवा भवन के पूर्ण अथवा इसकी श्रेणी के किसी भी भाग अथवा ऐसी कोई भी संरचना जिसका यह भवन हिस्सा है के गिरने अथवा विस्थापित होने की तारीख के सात दिन के अवधि के समाप्त होने पर पूरा बीमा समाप्त हो जायेगा ।

बशर्ते कि भवन का इस प्रकार से गिरना अथवा विस्थापन उन बीमाकृत खतरों, हानि अथवा क्षति से न हो इस पॉलिसी के अंतर्गत आते है अथवा अंतर्गत रखे जाते यदि इस पॉलिसी के अतंर्गत ऐसे भवन, भवनों की श्रेणी अथवा संरचना का बीमा किया होता । उपर्युक्त इन सब बातों के होते हुए भी कंपनी भवन के किसी भी प्रकार से ऐसे गिरने अथवा विस्थापित होने के 7 दिन में तुरन्त सूचना दिये जाने पर स्वयं द्वारा निर्णित और इस संबंध में लिखित रूप में पुष्टि की गई संशोधित दरों, निबन्धन व शर्तों के अंतर्गत बीमा जारी रखने पर सहमत हो सकती है ।

3. उक्त बीमा, बीमाकर्त्ता के अनुरोध पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, जिस स्थिति में कंपनी उस अवधि के लिए प्रीमियम प्रचलित अल्प अवधि दर पर रखेगी जिस अवधि में उक्त पॉलिसी प्रभावी है । यह बीमा कंपनी की इच्छा पर बीमाकर्त्ता को इस संबंध में दी जा रही 15 दिन की सूचना पर भी समाप्त किया जा सकता है जिस स्थिति में कंपनी पर, मांग पर रद्द करने की तिथि से असमाप्त अवधि के लिए प्रीमियम के अनुपातिक हिस्से को लौटाने का दायित्व होगा ।

4. (1) किसी भी हानि अथवा क्षति होने पर, बीमाकर्त्ता कंपनी को इसकी तुरन्त सूचना देगा और हानि अथवा क्षति के 15 दिनों के भीतर अथवा उतना और समय जितना कंपनी उस में लिखित में अनुमति दे, कंपनी को इसकी सूचना देगी ।

(क) हानि अथवा क्षति का लिखित रूप में दावा, जिसमें विवरण स्वरूप सभी अनेक वस्तुओं अथवा मदों अथवा क्षतिग्रस्त अथवा तबाह हुई सम्पत्ति, और वस्तुओं अथवा मदों की हानि अथवा क्षति जिसमें किसी भी प्रकार का लाभ शामिल न हो, के मद्देनजर उनको होने वाली हानि अथवा क्षति की राशि का लेखा ।

(ख) अन्य सभी बीमों का विवरण, यदि कोई हो तो बीमाकर्त्ता को भी हर समय अपने खर्चे पर, दावों और उनसे संबद्ध किसी भी अन्य विषयों की सत्यता की घोषणा और शपथ अथवा सत्यता की अन्य वैधानिक प्रपत्र सहित कंपनी को ऐसे वे सभी विवरण, योजनाएं, विनिर्देशन की किताबें, वाउचर, बीजक, अनुलिपियां अथवा उनकी प्रतियां, दस्तावेज, अन्वेषक प्रतिवेदन (आन्तरिक/बाह्य) दावे और

आग की उत्पत्ति और कारण के प्रमाण-पत्र और सूचना तथा हानि अथवा क्षति होने की परिस्थितियां और देयता का कोई भी मामला अथवा कंपनी की देयता की राशि कंपनी में प्रस्तुत करे, उसे हासिल करे और उसे प्रदान करे जो कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से यथोचित अपेक्षित हो ।

नीति के अंतर्गत कोई भी दावा तब तक देय नही होगा जब तक निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन न किया गया हो ।

(2) यदि बीमाकर्त्ता हानि की तारीख से 6 महीनों के भीतर इसके बारे में कोई सूचना/दस्तावेजन प्रस्तुत नहीं करता तो कंपनी के पास दावे को दावा न मानने का अधिकार सुरक्षित है ।

(3) कंपनी को किसी भी स्थिति में हानि अथवा क्षति होने के समय से 12 महीने की समाप्ति के उपरान्त किसी भी प्रकार की हानि अथवा क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा यदि दावा लम्बित कार्यवाही अथवा निर्णयाधीन का विषय है । यह स्पष्ट रूप से सम्मत और घोषित है कि यदि कंपनी इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के दावे का परित्याग करती है और जिसे दावे को परित्याग की तारीख से 12 पंचागं मासों के भीतर न्यायालय में मुकद्दमे की विषय वस्तु नहीं बनाया गया हो तो दावे का सभी प्रयोजनों के लिए परित्याग समझा जायेगा और इसके अंतर्गत उक्त अवधि की समाप्ति पर दावे की वसुली नहीं होगी ।

5. इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकृत किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को हानि अथवा क्षति पहुंचने पर, कंपनी निम्न कदम उठायेगी :-

(क) जिस भवन अथवा परिसर में हानि अथवा क्षति हुई है उसमें प्रवेश करना और उस पर कब्जा करना तथा उस पर कब्जा रखना ।

(ख) हानि अथवा क्षति के समय भवन अथवा परिसर में बीमाकर्त्ता की किसी भी सम्पत्ति को कब्जे में लेना अथवा जिसका इसको सौंपा जाना अपेक्षित हो ।

(ग) किसी भी ऐसी सम्पत्ति पर कब्जा रखना और इस प्रकार की सम्पत्ति की जांच, वर्गीकरण, प्रबंध, हटाना अथवा अन्यथा इस का निपटान करना ।

(घ) किसी भी प्रकार की ऐसी सम्पत्ति को बेचना अथवा जिस किसी से भी संबंधित हो उसकी ओर से ऐसी सम्पत्ति को बेचना ।

कंपनी द्वारा इस शर्त के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का किसी भी समय प्रयोग किया जायेगा जब तक बीमाकर्त्ता लिखित में यह सूचना नहीं दे देता कि वह पॉलिसी के अंतर्गत दावा नहीं करेगा, अथवा यदि कोई भी दावा किया जाता है जब तक ऐसे दावे का अन्तिम रूप से निर्धारण अथवा इसे वापिस नहीं किया जाता, और कंपनी इसके अंतर्गत अपनी शक्तियों में किये गये किसी भी कार्य अथवा इन शक्तियों के प्रयोग के अभिप्राय से कंपनी बीमाकर्त्ता की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी अथवा किसी भी दावे इत्यादि के समाधान में इस पॉलिसी की किसी भी शर्त पर निर्भर करने के लिए अपने अधिकारों को कम नहीं करेगी । यदि बीमाकृत अथवा उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कंपनी की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है या कंपनी के कार्य में व्यवधान अथवा बाधा पहुंचाता है, तो नीचे दी गयी कंपनी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस पालिसी के तहत सभी लाभ जब्त कर लिए जायेंगे । किसी भी स्थिति में बीमाकृत को किसी संपत्ति को कंपनी के लिए छोड़ देने का अधिकार नहीं होगा चाहे कंपनी ने उसका कब्जा लिया हो अथवा नहीं ।

6. यदि दावा किसी भी प्रकार से कपटपूर्ण हो अथवा इस पालिसी के तहत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई झूठी घोषणा की जाए, अथवा यदि बीमाकृत द्वारा अथवा उसकी ओर से कार्यरत किसी अन्य द्वारा अथवा उसकी ओर से कार्यरत किसी अन्य द्वारा कोई धोखेबाजीपूर्ण साधन अथवा युक्ति का उपयोग किया जाए अथवा यदि हानि या क्षति जानबूझकर की गयी कार्यवाही से अथवा बीमाकृत की गुप्त सहमति से पैदा हो, तो इस पालिसी के तहत सभी लाभ जब्त कर लिए जाएं ।

7. यदि कंपनी अपनी ओर से, हानि अथवा क्षति की राशि का भुगतान करने के बजाय क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट संपत्ति को या उसके किसी भाग को पुनः स्थापित अथवा प्रतिस्थापित करती है, या किसी अन्य कंपनी अथवा बीमाकर्ता के साथ मिलकर ऐसा करती है तो कंपनी बिल्कुल उसी रूप में अथवा पूर्णतः पुनः स्थापना हेतु बाध्य नहीं होगी बल्कि जितना परिस्थितियों को देखते हुए संभव होगा और तार्किक रूप से पर्याप्त होगा, और किसी भी प्रकार से कंपनी पुनःस्थापना पर उससे अधिक खर्च नहीं करेंगी जितना हानि के समय की संपत्ति की स्थिति में पुनःस्थापित करने पर लागत आती और यह राशि कंपनी द्वारा उस संपत्ति की बीमाकृत राशि से अधिक नहीं होगी । यदि कंपनी इस प्रकार से किसी संपत्ति को प्रतिस्थापित करने अथवा पुनःस्थापित करने के विकल्प का चुनाव करती है तो बीमाकृत अपने खर्च पर कंपनी को ऐसी योजना उपलब्ध करायेगा । विनिर्देशन, मापन, परिमाण और अन्य ऐसे विवरण जिनकी कंपनी को आवश्यकता हो, और कोई भी कार्य जो कंपनी द्वारा पुनःस्थापना अथवा प्रतिस्थापना की दृष्टि से न किया गया हो अथवा कराया गया हो, कंपनी द्वारा पुनःस्थापना अथवा प्रतिस्थापन हेतु किया गया चुनाव माना जायेगा ।

यदि किसी मामले में, गलियों को मिलाने अथवा भवन निर्माण संबंधी नगरपालिका अथवा अन्य के विनियमों के कारण, कंपनी एतद्द्वारा बीमाकृत संपत्ति की पुनःस्थापना अथवा मरम्मत में असमर्थ रहती है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में कंपनी को उतनी राशि का भुगतान

करना होगा जितना उक्त संपत्ति को पहले की स्थिति में पुनःस्थापित करने हेतु आवश्यक होता ।

8. बीमाकृत, कंपनी के खर्च पर ऐसे सभी कार्यों और बातों के लिए सहयोग करेगा और करने की अनुमति प्रदान करेगा, जिनके लिए कंपनी इस पालिसी के तहत नुकसान अथवा हानि-पूर्ति का भुगतान करने के कारण अन्य पार्टियों में जिनके स्थान पर कंपनी राहत अथवा क्षतिपूर्ति हेतु पात्र अथवा प्रतिस्थापित हो जायेगी अथवा अधिकारों और उपचारों का प्रयोग करने के उद्देश्य से जो जो कंपनी के लिए आवश्यक होंगे अथवा जिनकी कंपनी को तार्किक रूप से आवश्यकता होगी, चाहे ऐसे कार्य और बातें कंपनी द्वारा उसको क्षति पूर्ति किये जाने से पूर्व आवश्यक हो जाए अथवा उनकी जरूरत हो ।

9. यदि एतद्द्वारा बीमाकृत किसी संपत्ति को हानि या क्षति पहुंचने के समय कोई अन्य बीमा (एक या अधिक) प्रभावी हों, चाहे वे बीमाकृत द्वारा कराये गये हों अथवा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसी संपत्ति के संबंध में हों, तो यह कंपनी ऐसी हानि या क्षति के अपने आनुपातिक हिस्से से अधिक का भुगतान करने को बाध्य नहीं होगी ।

10. यदि एतद्द्वारा बीमाकृत संपत्ति की कीमत किसी बीमाकृत जोखिम के घट जाने के समय उसकी बीमा की गयी रकम से अधिक हो, तो जो अंतर होगा उसके लिये यह माना जायेगा कि बीमाकृत ही अपना बीमाकर्ता है, और तदनुसार हानि का आनुपातिक हिस्सा वहन करेगा । यदि पालिसी की मदें एक से अधिक हों तो प्रत्येक मद पर यह शर्त अलग से लागू होगी ।

किंतु, इस शर्त के अधीन कि यदि बीमाकृत संपत्ति की एतद्द्वारा बीमा की गयी राशि इस पालिसी के तहत बीमाकृत जोखिमों में किसी के भी प्रचालन के समय अथवा ऐसे विनाश या क्षति के समय बीमाकृत संपत्ति की सामूहिक कीमत के 85% (पचासी प्रतिशत) से कम न हुई, तो इस शर्त का कोई उद्देश्य और प्रभाव नहीं रह जाएगा ।

11. यदि इस पालिसी के तहत भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा को लेकर कोई विवाद या मतभेद पैदा होता है (जबकि जिम्मेदारी स्वीकार कर ली गयी हो) तो अन्य प्रश्नों को एक तरफ रखकर ऐसे मतभेद को एक अनन्य मध्यस्थ को सौंपा जायेगा जिसकी नियुक्ति लिखित में पार्टियों द्वारा की जायेगी अथवा यदि वे एक मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो सकते तो किसी भी पार्टी द्वारा मध्यस्थता की याचना किये जाने के 30 दिन के भीतर मतभेद को तीन मध्यस्थों के एक पैनल को सौंपा जायेगा, जिनमें से एक-एक मध्यस्थ झगड़े की दोनों पार्टियों द्वारा नियुक्त किया जायेंगे और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति इन दो मध्यस्थों द्वारा की जायेगी और मध्यस्थता की कार्यवाही 'मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996' के तहत और उसके अनुसार की जायेगी ।

इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमति है और इसे समझ लिया गया है कि यदि कंपनी ने इस पालिसी के तहत अथवा इसके संबंध में विवाद किया हो अथवा दायित्व स्वीकार न किया हो, तो कोई भी मतभेद या विवाद इसमें पहले उपलब्ध कराये अनुसार मध्यस्थों को नहीं सौंपा जायेगा ।

एतद्द्वारा यह स्पष्ट रूप से अनुबंधित और घोषित किया जाता है कि इस पालिसी के तहत किसी भी याचिका अथवा अधिकार की कार्यवाही शर्त से पूर्व यह होगी कि हानि या क्षति की राशि को पहले प्राप्त किया जाए ।

12. इस पालिसी की बीमा अवधि के दौरान हर समय बीमाकृत राशि की पूरी मात्रा के लिए बीमा लागू रहेगा, जिसके बदले, इस पालिसी के तहत किसी हानि पर समझौता होने पर ऐसी क्षति की तिथि से बीमे की समाप्ति की तिथि तक असमाप्त अवधि के लिए यथानुपात प्रीमियम बीमाकृत द्वारा कंपनी को दिया जाएगा ।

ऊपर उल्लिखित प्रीमियम को पालिसी के तहत भुगतानयोग्य शुद्ध दो की राशि में से काट लिया जायेगा । यह मत बीमा लाभ पूरी सीमा तक इस बात पर ध्यान दिये बिना प्रदान किया जायेगा कि इसके तहत कंपनी ने पहले किसी हानि की भरपाई की है और इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना भी कि ऐसी हानि के पश्चात ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त प्रीमियम का भुगान किया गया है अथवा नहीं । इस शर्त का उद्देश्य बीमाकृत वस्तु को बीमा लाभ की निरंतरता सुनिश्चित करना है जिसमें मात्र कंपनी के इस अधिकार की ही शर्त है कि दावे की राशि निर्धारित हो जाने पर उसमें से यथानुपात प्रीमियम की राशि काट ली जायेगी, जिसकी गणना हानि की तिथि से पालिसी की समाप्ति की तिथि तक की जायेगी ।

ऊपर उल्लिखित बातों के होते हुए भी यदि हानि होने के तुरन्त पश्चात् बीमाकृत ऊपर बीमा की गयी राशि की पुनःस्थापना न करने का विकल्प चुनता है तो बीमा की गयी राशि में से हानि की मात्रा कम हो जायेगी ।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 1999

No. 17/1/98-DBA-I.— In pursuance of Para E(i) of the Ministry of Industry, Department of Industrial Policy & Promotion O.M. No. EA/1/2/96-IPD dated 24th December, 1997, the Government of India is pleased to make the following Scheme of Comprehensive Insurance for Industrial Units in the North Eastern Region comprising the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura with a view to accelerating industrial development in the region.

1. Short Title: — This scheme may be called Central Comprehensive Insurance Scheme, 1997.

2. Commencement and Duration: It will be effective from the day of its publication and remain in force for 10 (ten) years.

3. Applicability: The Scheme is applicable to new Industrial Units set up in the North Eastern Region after 24 December 1997.

4. Definition of Industrial Unit: Any industry which is included in Fire Policy 'C' as per All India Fire Tariffs.

5. Fixation of Sum Insured : The Policy shall be issued on market valuation by the Insurance Company.

6. Mode of Operation: The insured party shall pay the initial premium which shall be re-imbursed by the nodal insurance company (National Insurance Corporation) out of the revolving fund maintained by that company. Funds for this revolving fund shall be contributed by Ministry of Industry, Department of Industrial Policy & Promotion.

7. The Insurance policy envisaged under the Scheme will be as indicated in Annexure-A.

MRS. PRATIBHA KARAN, Jt. Secy.

ANNEXURE-A

COMPREHENSIVE INSURANCE POLICY FOR INDUSTRIAL UNIT IN NORTH EAST REGION

"IN CONSIDERATION OF the Insured named in the schedule hereto having paid to the _____ Insurance company Limited (hereinafter called the company) the premium mentioned in the said schedule, THE COMPANY AGREES, (subject to the conditions and exclusions contained herein or endorsed or otherwise expressed hereon) that if after payment of the premimum the property insured described in the said schedule or any part of such property be destroyed or damaged by the following:-

i. Fire
ii. Lightning
iii. Explosion/Implosion but excluding loss of or damage
(a) to boilers (other than domestic boilers), economisers or other vessels, machinery or apparatus in which steam is generated or their contents resulting from their own explosion/implosion,
(b) caused by centrifugal force.

iv. Riot, Strike, Malicious, and terrorist Damage as per Riot, Strike, Malicious and terrorist Damage clause printed hereon.
v. Impact by any Rail/Road vehicle or animal.
vi. Aircraft and other aerial and/or space devices and/or articles dropped therefrom, excluding destruction or damage occasioned by pressure waves caused by such devices,
vii. Storm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane, Tornado, Flood and Inundation.
viii. Subsidence and Landslide (including Rockslide) resulting in collapse of the entire building or part of.
ix. Earthquake Fire and Shock.

During the period of insurance named in the said schedule or of any subsequent period in respect of which the insured shall have paid and the Company shall have accepted the premium required for the renewal of the policy, the Company will pay to the Insured the value of the Property at the time of the happening of its destruction or the amount of such damage or at its option reinstate or replace such Property or any part thereof.

PROVIDED that the liability of the Company shall in no case exceed in respect of each item the sums expressed in the said Schedule to be insured thereon or in the whole the total sum insured hereby or such other sum or sums as may be substituted thereof by memorandum hereon or attached hereto signed by or on behalf of the company."

RIOT, STRIKE, MALICIOUS AND TERRORIST DAMAGE CLAUSE.

This Policy covers Riot, Strike, Malicious and Terrorist Damage as under:-

I) Loss of or visible physical damage by external violent means to the property insured directly caused by:

1) The act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in connection with a strike or lock-out or not) not being an occurrence mentioned in exclusion 7(a), (b).

2) The action of any lawfully constituted authority in suppressing or attemting to suppress any such disturbance or in minimising the consequence of any such disturbance.

3) The willful act of any striker or locked out worker done in furtherance of strike or in resistance to a lock out resulting in visible physical damage by external violent means.

4) The action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimising the consequences of any such act.

5) Any malicious act but excluding any omission of any kind of any person (whether or not such act is committed in the course of a disturbance of public peace) provided that the Company shall not be liable for any loss or damage arising out of or in the course of burglary, housebreaking, theft or larceny or any attempt by any person taking part therein.

II) Loss of or Damage to the property insured by explosion or otherwise directly caused by:

1. An act of terrorism committed by a person or persons acting on behalf of or in connection with any organisation.

2. The action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such act, of terrorism or in minimising the consequences thereof.

For the purpose of this clause "terrorism" shall mean the use of violence for political ends and shall include any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear.

EXCLUSIONS

THIS INSURANCE DOES NOT COVER

1. Loss by theft during or after the occurrence of any insured peril except as provided for in the Riot, Strike and Malicious Damage Clause.

2. Loss or damage to property occasioned by its undergoing any heating or drying process.

3. Loss or damage occasioned by or through or in consequence of

(a) the burning of property on order of any public authority
(b) subterranean fire.

4. Loss of damage directly or indirectly caused by or arising from or in consequence of or contributed to by nuclear weapons material.

5. Loss or damage directly or indirectly caused by or arising from or in consequence of or contributed to by ionising radiations or contaminations by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of this Exclusion only, combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.

6. Loss or damage to any electrical machine, apparatus, fixture or fitting (including electric fans, electric household or domestic appliances, wireless sets, television sets and radios) or to any portion of the electrical installation, arising from or occasioned by over-running, excessive pressure, short circutting, arcing, self-heating or leakage or electricity, from whatever cause (lightning included) provided that this exemption shall apply only to the particular electrical machine, apparatus, fixture, fitting, or portions of the electrical installation so affected and not to other machines, apparatus, fixtures, fittings, or portions of the electrical installation which may be destroyed or damaged by fire so set up.

7. Loss or damage occasioned by or through or in consequence directly or indirectly, of any of the following occurrences, namely,

(a) War, invasion, act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war,
(b) Mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power.

In any action, suit or other proceeding where the company alleges that by reason of the provisions of the above exclusions any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the insured.

8. Loss or damage to bullions or unset precious stones, any curios or work of art, for an amount exceeding Rs.1000/- , manuscripts, plans, drawings, patterns, models or moulds, securities, obligations or documents of any kind , stamps, coins or paper money, cheques, books of account or other business books, computer system records, explosives, unless otherwise expressly stated in the policy.

9. Property insured if removed to any building or place other than in which it is herein stated to be insured except Machinery and Equipments temporarily removed for repairs, cleaning, renovation or other similar purposes for a period not exceeding 60 days.

This insurance does not cover:

a) Loss of earnings, loss by delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever.

b) Loss or damage resulting from total or partial cessation of work or the retarding or interruption or cessation of any process or operation or omissions of any kind.

c) Loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession resulting from confiscation commandeering or requisition by any lawfully constituted authority .

d) Loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession of any building or plant or unit or machinery resulting from the lawful occupation by any person of such building or plant or unit or machinery or prevention of access to the same.

PROVIDED nevertheless that the Company is not relieved under © or (d) above of any liability to the Insured in respect of physical damage to the property insured occurring before dispossession or during temporary dispossession.

CONDITIONS

1. THIS POLICY shall be voidable in the event of mis-represer. ation, mis-description or non-disclosure of any material particular.

2. All insurance under this policy shall cease on expiry of seven days from the date of fall or displacement of any building or part thereof or of the whole or any part of any range of building or of any structure of which such building forms part.

PROVIDED such a fall or displacement is not caused by insured perils loss or damage by which is covered this policy or would be covered if such building, range of buildings or structure were insured under this policy. Notwithstanding the above, the company, subject to an express notice being given as soon as possible but not later than 7 days of any such fall or displacement , may agree to continue the insurance subject to revised rates, terms and conditions as may be decided by it and confirmed in writing to this effect.

3. This insurance may be terminated at any time at the request of the insured, in which case the company will retain the premium at customary short period rate for the time the policy has been in force. This insurance may also at any time be terminated at the option of the Company on 15 days notice to that effect being given to the Insured, in which case the company shall be liable to repay on demand a rateable proportion of the premium for the un-expired term from the date of the cancellation.

4. (1) On the happening of any loss or damage the insured shall forthwith give notice thereof to the company and shall within 15 days after the loss or damage or such further time as the company may in writing allow in that behalf, deliver to the company.

(a) A claim in writing for the loss or damage containing as particular an account as may be reasonably practicable of all the several articles or items or property damage or destroyed, and of the amount of the loss or damage thereto respectively, having regard to their value at the time of the loss or damage not including profit of any kind.

(b) Particulars of all other insurances, if any.

The insured shall also at all time at his own expense produce, procure and give to the company all such further particulars, plans, specification books, vouchers, invoices, duplicates or copies thereof, documents, investigation reports (internal/ external), proofs and information with respect to the claim and origin and cause of the fire and the circumstances under which the loss or damage occurred and any matter touching liability or the amount of the liability of the Company as may be reasonably required by or on behalf of the Company together with a declaration and oath or in other legal form of the truth of the claims and of any matters connected therewith.

No claim under this policy shall be payable unless the terms of this condition have been complied with.

(ii) The Company reserves the right to treat the claim as no claim if no information/ documents are submitted by the insured within a period of 6 months from the date of loss.

(iii) In no case whatsoever shall the Company be liable for any loss or damage after the expiration of 12 months from the happening of the loss or damage unless the claim is the subject of pending action or arbitration; it being expressly agreed and declared that if the Company shall disclaim liability for any claim hereunder and such claim shall not within 12 calendar months from the date of the disclaimer have been made the subject matter of a suit in a court of law then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder.

5. On the happening of loss or damage to any of the property insured by this policy, the Company may:-

(a) enter and take and keep possession of the building or premises where the loss or damage has happened.

(b) take possession of or require to be delivered to it any property of the insured in the building or on the premises at the time of the loss or damage.

(c) keep possession of any such property and examine, sort, arrange, remove or otherwise deal with the same.

(d) sell any such property or dispose of the same for account of whom it may concern.

The powers conferred by this condition shall be exerciseable by the Company any time until notice in writing is given by the insured that he makes no claim under the policy, or if any claim is made, until such claim is finally determined or withdrawn, and the company shall not by any act done in the exercise or purported exercise of its powers hereunder, incur any liability to the insured or diminish its rights to rely upon any of the conditions of this policy in answer to any claim etc.

If the insured or any person on his behalf shall not comply with the requirements

of the Company or shall hinder or obstruct the Company, in the exercise of its powers hereunder, all benefits under this policy shall be forfeited.

The Insured shall not in any case be entitled to abandon any property to the Company whether taken possession of by the Company or not.

6. If the claim be in any respect fraudulent, or if any false declaration be made or used in support thereof or if any fraudulent means or devices are used by the insured or any one acting on his behalf to obtain any benefit under the policy or if the loss or damage be occasioned by the willful act, or with the connivance of the insured, all benefits under this policy be forfeited.

7. If the company at its option, reinstate or replace the property damaged or destroy ed or any part thereof, instead of paying the amount of the loss or damages, or join with any other Company or Insure(s) in so doing, the Company shall not be bound to reinstate exactly or completely but only as circumstances permit and in reasonably sufficient manner, and in no case shall the Company be bound to expend more in reinstatement than it would have cost to reinstate such property as it was at the time of the occurrence of such loss or damage nor more than the sum insured by the Company thereon.

If the Company so elect to reinstate or replace any property, the insured shall at his own expense furnish the Company with such plans. Specifications, measurements, quantities and such other particulars as the Company may require, and no acts done, or caused to be done, by the company with a view to reinstatement or replacement shall be deemed an election by the company to reinstate or replace

If in any case the Company shall be unable to reinstate or repair the property hereby insured, because of any municipal or other regulations in force affecting the alignment of streets or the construction of buildings or otherwise, the Company shall in every such case, only be liable to pay such sum as would be requisite to reinstate to its former condition.

8. The insured shall at the expense of the Company do and concur in doing, and permit to be done, all such acts and things as may be necessary or reasonably required by the Company for the purpose of enforcing any rights and remedies or of obtaining relief or indemnity from other parties to which the Company shall be or would become entitled or subrogated, upon its paying for or making good any loss or damage under this policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after his indemnification by the Company.

9. If at the time of any loss or damage happening to any property hereby insured there be any other subsisting insurance or insurances, whether effected by the insured or by any other person or persons covering the same property, this Company shall not be liable to pay or contribute more than its rateable proportion of such loss or damage.

10. If the property hereby insured shall at the breaking out of any insured peril, be collectively of greater value than the sum insured thereon, then the insured shall be considered as being his own insurer for the difference, and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly. Every item, if more than one of the policy shall be separately subject to this condition.

Provided, however, that if the sum insured hereby on the property insured shall at the operation of any of the perils insured under this Policy or at the commencement of such destruction or damage be not less than 85% (eighty-five precent) of the collective value of the property insured, this condition shall be of no purpose and effect.

11. If any dispute or difference shall arise as to the quantum to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall independently of all other questions be referred to the decision of a sole arbitrator to be appointed in writing by the parties to or they cannot agree upon a single arbitrator within 30 days of any party invoking arbitration the same shall be referred to a panel of three arbitrators, comprising of two arbitrators, one to be appointed by each of the parties to the dispute/difference and the third arbitrator to be appointed by such two arbitrators and arbitrator shall be conducted under and in accordance with the provisions of the Arbitration and Concilliation Act, 1996.

It is clearly agreed and understood that no difference or dispute shall be referable to arbitration as herein before provided, if the company has disputed or not accepted liability under or in respect of this policy.

It is hereby expressly stipulated and declared that it shall be a condition precedent to any right of action or suit upon this policy that the award by such arbitrator/ arbitrators of the amount of the loss or damage shall be first obtained.

12. At all times during the period of insurance of this policy the insurance cover will be maintained to the full extent of the respective sum insured in consideration of which, upon the settlement of any loss under this policy, pro rata premium for the unexpired period from the date of such loss to the expiry period of insurance for the amount of such loss shall be payable by the Insured to the Company.

The additional premium referred above shall be deducted from the net claim payable under the policy. This continuous cover to the full extent will be available notwithstanding any previous loss for which the Company may have paid hereunder and irrespective of the fact whether the additional premium as mentioned above has been actually paid or not following such loss. The intention of this condition is to ensure continuity of the cover to the insured subject only to the right of the company for deduction from the claim amount, when settled of pro-rata premium to be calculated from the date of loss till expiry of the policy.

Notwithstanding what is stated above, the Sum Insured shall stand reduced by the amount of loss in case the insured immediately on occurrence of the loss exercises his option not to reinstate the sum insured as above.

*****

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999